अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ.28 (324) पराविं/प्र.–2 /चुं.अ.क./सफाई कर्म./पार्ट–II/2004/62 जयपुर, दिनांकः– 21/01/13

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद समस्त।

विषय :– प्रत्येक ग्राम पंचायत पर सुरक्षा–रखरखाव का कार्य जॉब आउट सोर्सिंग बैसिस पर करवाये जाने हेतु मेमोरेन्डम ऑफ अन्डर्स्टेडिंग (MOU) निष्पादित कराने बाबत।
प्रसंग :– विभागीय पत्र क्रमांक 1678 दिनांक 10.12.12

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों की सुरक्षा हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत पर सुरक्षा–रखरखाव का कार्य निम्नानुसार प्राथमिकता के आधार पर चयन कर पूर्णतः जॉब आउट सोर्सिंग बेसिस पर कार्य हेतु कराने हेतु निर्देश जारी किये गये थे :–

1.) 1 अगस्त, 1998 को ग्राम पंचायतों में कार्यरत चुंगी अधिशेष व अशंकालीन सफाई कार्य कर रहे व्यक्ति द्वारा जॉब आउट सोर्सिंग बेसिस पर (अधिकतम 60 वर्ष तक)
2.) भारतीय सेना, पैरा मिल्ट्री ऑरगनाईजेशन, सुरक्षा बल आदि से सेवा निवृत 60 वर्ष से अधिक आयु के स्थानीय व्यक्ति (अधिकतम 65 वर्ष तक)
3.) राज्य/केन्द्रिय राजकीय सेवा, राष्ट्रीयकृत बैंक, राजकीय उपक्रमों, स्थानीय निकायों के सेवा निवृत स्थानीय व्यक्ति (अधिकतम 65 वर्ष तक)
4.) रजिस्टर्ड सुरक्षा एजेन्सी से (अधिकतम 65 वर्ष तक)

संबंधित पंचायत समिति सुरक्षा–रखरखाव का कार्य करवाये जाने के लिए उक्तानुसार प्रासंगिक पत्र अनुसार नियमानुसार पूर्णतः जॉब आउट सोर्सिंग बेसिस पर चयन की कार्यवाही कराकर मेमोरेन्डम ऑफ अन्डर्स्टेडिंग (MOU) निष्पादित करने के लिए मेमोरेन्डम ऑफ अन्डर्स्टेडिंग (MOU) का प्रारूप संलग्न है।

अतः संबंधित प्रस्तावकर्ता के साथ सभी ग्राम पंचायतो में सुरक्षा–रखरखाव के कार्य के लिए जॉब आउट सोर्सिंग बेसिस पर सेवाएं लिया जाने के लिए नियमानुसार संलग्न प्रारूप अनुसार मेमोरेन्डम ऑफ अन्डर्स्टेडिंग (MOU) निष्पादित करावे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(अपर्णा अरोरा)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री महोदय, ग्रा.वि.एवंपं.राज विभाग।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, ग्रा.वि.एवंपं.राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रा.वि.एवंपं.राज विभाग।
5. वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग।
6. जिला कलक्टर, जिला समस्त।
7. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
9. विभागीय सहायक प्रोग्रामर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

अति. आयुक्त एवं उप शासन सचिव (प्रशा0 II)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

आज दिनांक..................को राज्य सरकार की ओर से ग्राम पंचायत .... पंचायत समिति .... जिला .... जिसे इस मेमोरेन्डम ऑफ अन्डर्स्टेंडिंग (*MEMORANDUM* OF UNDERSTANDING) में आगे चलकर प्रथम पक्ष से सम्बोधित **किया** गया है तथा प्रस्तावकर्ता ऐजेन्सी/सेवा निवृत्त व्यक्ति/संस्था .... जिसे इस मेमोरेन्डम ऑफ अन्डर्स्टेंडिंग (*MEMORANDUM* OF UNDERSTANDING) में आगे चलकर द्वितीय पक्ष से सम्बोधित किया गया है के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों के रूप में विभागीय पत्रांक एफ 28 (324) परावि/प्र–2/चुं.अ.क. /सफाई कर्म./पार्ट–2/2004/1678 दि0 10.12.12 के आधार पर 1.) 1 अगस्त, 1998 को ग्राम पंचायतों में कार्यरत चुंगी अधिशेष व अशंकालीन सफाई कार्य कर रहे व्यक्ति जॉब आउट सोर्सिंग बेसिस पर (अधिकतम 60 वर्ष तक), भारतीय सेना, पैरा मिल्ट्री ऑरगनाईजेशन, सुरक्षा बल आदि से सेवा निवृत 60 वर्ष से अधिक आयु के स्थानीय व्यक्ति के रूप में (अधिकतम 65 वर्ष तक), राज्य/केन्द्रीय राजकीय सेवा, राष्ट्रीयकृत बैंक, राजकीय उपकमों, स्थानीय निकायों के सेवा निवृत स्थानीय व्यक्ति (अधिकतम 65 वर्ष तक) के द्वारा सुरक्षा गार्डों की सेवाएं उपलब्ध कराने के संबंध में निम्नानुसार मेमोरेन्डम ऑफ अन्डर्स्टेंडिंग (*MEMORANDUM* OF UNDERSTANDING) का निष्पादन किया जा रहा है :–

1. द्वितीय पक्ष प्रस्तावकर्ता आवश्यकतानुसार प्रथम पक्ष को पंचायती राज विभाग के पत्रांक एफ 28 (324) परावि/प्र–2/चुं.अ.क./सफाई कर्म. /पार्ट–2/2004/1678 दि0 10.12.12 की शर्तो के अनुसार सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करायेगा इसकी एवज में प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तावकर्ता को उक्त पत्रांक 1678 दि0 10.12.12 अनुसार सुरक्षा कार्य कराये जाने हेतु निर्धारित पारिश्रमिक 3822/– रूपये प्रतिमाह का भुगतान द्वितीय पक्ष को किया जायेगा।
2. द्वितीय पक्ष प्रस्तावकर्ता प्रथम पक्ष को पंचायती राज विभाग के पत्रांक एफ 28 (324) परावि/प्र–2/चुं.अ.क./सफाई कर्म./पार्ट–2/2004/1678 दि0 10.12.12 मे वर्णित प्राथमिकता अनुसार ग्राम पंचायतों में दिनांक 1.8.1998 को अधिशेष चुंगी कार्मिक एवं अंशकालीन सफाई कार्मिक को प्रथम प्राथमिकता देते हुये सुरक्षा गार्ड हेतु उपलब्ध करायेगा।

3. द्वितीय पक्ष प्रस्तावकर्ता प्रथम पक्ष को यदि ग्राम पंचायतों में दिनांक 1.8. 1998 को अधिशेष चुंगी कार्मिक एवं अंशकालीन सफाई कार्मिक उपलब्ध नही हो तो भारतीय सेना, पैरा मिल्ट्री ऑरगनाईजेशन, सुरक्षा बल आदि के 60 वर्ष से अधिक आयु के स्थानीय व्यक्ति (अधिकतम 65 वर्ष तक) को द्वितीय प्राथमिकता देते हुये सुरक्षा गार्ड हेतु उपलब्ध करायेगा।
4. द्वितीय पक्ष प्रस्तावकर्ता प्रथम पक्ष को यदि उक्त दोनो श्रेणी के व्यक्ति के उपलब्ध नही हो तो राज्य/केन्द्रीय राजकीय सेवा, राष्ट्रीयकृत बैंक व अन्य राजकीय उपक्रमों से सेवानिवृत्त स्थानीय कार्मिक को तृतीय प्राथमिकता देते हुये सुरक्षा गार्ड हेतु उपलब्ध करायेगा। (अधिकतम 65 वर्ष तक)
5. द्वितीय पक्ष प्रस्तावकर्ता प्रथम पक्ष को ग्राम पंचायत भवन के पास स्थानीय निवासरत व्यक्ति को ही प्रथम प्राथमिकता देते हुये सुरक्षा गार्ड हेतु उपलब्ध करायेगा।
6. द्वितीय पक्ष प्रस्तावकर्ता द्वारा प्रथम पक्ष को सामान्य दृष्टि (चश्मा/बिना चश्में के) व बिना सहायता के चलने–फिरने, बोलने–सुनने की क्षमता वाले व्यक्ति ही सुरक्षा कार्य हेतु उपलब्ध करायेगा।
7. रोग ग्रस्त, मानसिक बीमारी से ग्रसित, रात्रि अंधता (Night Blindness), दुर्व्यसन आदि से लिप्त सेवा निवृत्त व्यक्ति से इस व्यवस्था क़ी सेवाओं के लिए पात्र नहीं होंगे। अतः द्वितीय पक्ष प्रस्ताव कर्ता किसी भी परिस्थिति में सुरक्षा गार्ड हेतु इन से सेवाएं उपलब्ध नही करायेगा।
8. इस कार्य हेतु सेवा निवृत कार्मिक 65 वर्ष की आयु सीमा तक एवं 1 अगस्त, 1998 को ग्राम पंचायतों में कार्यरत चुंगी अधिशेष/अंशकालिन सफाई कार्य कर रहे व्यक्ति 60 वर्ष की आयु सीमा तक कार्यरत रहेगे। उक्त अवधि के पश्चात यह *MEMORANDUM* OF UNDERSTANDING स्वतः ही निरस्त माना जा कर उसकी सेवाएं पृथक मानी जावेगी।
9. द्वितीय पक्ष प्रस्तावकर्ता द्वारा सुरक्षा–रखरखाव का कार्य करने वाले व्यक्ति को सेवा केन्द्र की सफाई एवं सुरक्षा का निम्नानुसार निर्धारित कार्य करने व अन्य शर्तें के अनुसार कार्य पूर्ण करने पर नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित (अधिकतम) एक मुश्त राशि रू. 3822/– (अक्षरे तीन हजार आठ सौ बाईस रूपये मात्र) का भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को करेगा।

सुरक्षा व रखरखाव का कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कार्य का विवरण –

I. राजीव गांधी सेवा केन्द्र परिसर में उपलब्ध सोलर संयंत्र, कम्प्यूटर्स, फर्नीचर एवं रिकॉर्ड आदि की सुरक्षा एवं सफाई कार्य।

II. परिसर में सेवा केन्द्र के अतिरिक्त अन्य भवन स्थित होने की स्थिति में इन भवनों की सफाई एवं सुरक्षा का कार्य।

III. सेवा केन्द्र के खुले रहने के समय को छोड़कर शेष समय में सेवा केन्द्र की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी।

IV. सेवा केन्द्र परिसर में वृक्ष/पौधों की सुरक्षा का कार्य व आवश्यकतानुसार सफाई एवं सिंचाई करने का कार्य।

V. सोलर संयंत्र से किसी प्रकार की विद्युत का उपयोग व छेड़खानी नहीं की जावेगी।

VI. उसके द्वारा परिसर में किसी प्रकार अनैतिक कार्य नहीं किया जावेगा, जिससे कार्यालय परिसर की गरिमा भंग नहीं हो

VII. सुरक्षा–रखरखाव कार्य करने हेतु उत्तरदायी आवेदित /चिन्हित व्यक्ति/संस्था की ऐवजी में अन्य के द्वारा सुरक्षा–रखरखाव का कार्य कराना स्वीकार्य नहीं होगा।

VIII. सुरक्षा–रखरखाव कार्य करने हेतु उत्तरदायी आवेदित /चिन्हित व्यक्ति किसी कार्यवश सेवा केन्द्र से बाहर जाता है तो सम्बन्धित कार्यालय की लिखित अनुमति तथा अन्य व्यवस्था उपरान्त ही सेवा केन्द्र से जा सकेगा।

10. द्वितीय पक्ष प्रस्तावकर्ता द्वारा प्रथम पक्ष को उपलब्ध करायी गयी सुरक्षा सेवाओं के दौरान नुकसान होने की स्थिति में जैसे सेवा केन्द्र की सुरक्षा–रखरखाव का कार्य के दौरान यदि कोई आकस्मिक क्षति/दुर्घटना होती है तो उसकी सूचना तत्काल संबंधित सरपंच, ग्राम सेवक, रोजगार सहायक एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति को देनी होगी। यदि वह सूचना नहीं देता है तो इसमें उसकी लिप्तता मानते हुए उसके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जावेगी एवं उसको उक्त सुरक्षा–रखरखाव का कार्य हेतु द्वितीय पक्ष को देय एक मुश्त पारिश्रमिक का भुगतान प्रथम पक्ष नहीं करेगा।

11. **सुरक्षा प्रमाणीकरण, सुरक्षा–रखरखाव का कार्य हेतु देय एक मुश्त पारिश्रमिक एवं कार्य से हटाया जाना –**

(अ) माह के दौरान उक्त निर्देशों के अनुसार सुरक्षा–रखरखाव का निर्धारित कार्य पूर्ण करने एवं किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है, की सन्तुष्टि करने के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा देय एक मुश्त पारिश्रमिक मासिक का भुगतान हेतु प्रमाणीकरण किया जाकर निर्धारित देय एक मुश्त मासिक पारिश्रमिक का भुगतान माह समाप्ति के पश्चात् अधिकतम 5 दिवस में अर्थात् माह की

5 तारीख तक प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष प्रस्तावकर्ता को अकाउण्ट पेयी चैक के माध्यम से करेगा।

(ब) द्वितीय पक्ष प्रस्तावकर्ता की सेवाएं संतोषजनक नही होने की स्थिति में प्रथम पक्ष द्वारा 7 दिवस का नोटिस दे कर इस *MEMORANDUM* OF UNDERSTANDING को समाप्त किया जा सकेगा। परन्तु सुरक्षा–रखरखाव का कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्था के द्वारा सुरक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही करने पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष प्रस्तावकर्ता द्वारा लगाये गये व्यक्ति को बिना सूचना के अविलम्ब हटा दिया जायेगा।

12. दोनो पक्षों में किसी प्राकर का कोई विवाद उत्पन्न होने पर विवाद पंचायत समिति का निर्णय दोनो पक्षों को स्वीकार होगा।

13. *MEMORANDUM* OF UNDERSTANDING अनुसार जॉब आउट सोर्सिंग बेसिस पर सुरक्षा सेवा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आवश्यक योग्यता एवं शर्तों की पूर्ति एवं उसके साक्ष्य के रूप में वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने तथा टेण्डर प्रक्रिया से छूट संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष प्रस्तावकर्ता का होगा।

14. द्वितीय पक्ष प्रस्तावकर्ता श्रम एवं अन्य संबंधित कानूनों की पालना करने के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगा।

15. यह *MEMORANDUM* OF UNDERSTANDING दिनांक से तक की अवधि के लिए मान्य होगा।

16. यह *MEMORANDUM* OF UNDERSTANDING संबंधी निर्णय का समस्त अधिकार पंचायत समिति संबंधित /जिला परिषद संबंधित के पास सुरक्षित रहेगा।

प्रथम पक्ष, ग्राम पंचायत	द्वितीय पक्ष प्रस्तावकता